

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू-अर्जन निदेशालय
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

स०डी० एल० ए० प० चम्पा०रा० चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मोहछी सुघर, परगना- मझौवा, थाना-बेतिया (चनपटिया), जिला पश्चिम चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात्- ग्राम- मोहछी सुघर में सम्पर्क पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपयुक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- मोहछी सुघर नं०- 212 के भीतर कमोवेश 0 बीघा 5 कठ्ठा 10 धुर जो मानक माप से 0.092 एकड़ के बराबर होता है एक भू-खण्ड अपेक्षित है, जिसका अंश खेसरा संख्या- 471, 485, 484, 476 एवं 483 है, तथा इस भू खण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है:-


उत्तर :- पूर्ण खेसरा नं०- 470।
दक्षिण :- पूर्ण खेसरा नं०- 481।
पूरब :- अंश खेसरा नं०- 485, 484 एवं 483।
पश्चिम :- अंश खेसरा नं०- 471 एवं 476।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1-1894 की धारा 4 एवं भू-अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध है।


उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे अंचल अधिकारी, चनपटिया एवं उनके स्टाफ को प्राधिकृत करता हूँ कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें, तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) में यथाउपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य 0.092 एकड़ है, तथा उसका तुरंत अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 'अ' के उपबन्ध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।


समाहर्ता
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के सचिव

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक 2536/रा० डी०एल०ए० प० चम्पा०, पटना, दिनांक-23/10/2013
निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक सामचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को जिला गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोंपरान्त 10 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव